

ग्रामीण सेवा शिनिर-2025

पपत्र-10

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजरामन्द जिला राजरामन्द
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प खातडी

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुरती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खातडी
व भू.अ.नि. चौकडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रैलमवारा /नायब
तहसीलदार रैलमवारा की अनुशंसा के आधार पर राजरथान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कारैलिया तहसील रैलमवारा व
जिला राजरामन्द की जमाबन्दी संवत् १०१७ में खाता संख्या १४७ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	कारैलिया	१४७	मौहनीबाई	मौवनीबाई

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, र.

क्रमांक:- 186
प्रतिद्विपि :-

दिनांक :- 4 OCT 2025

1. तहसीलदार रैलमवारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्डों में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री मौवनीबाई गाडवी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, र.